पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 08/2018/ 63(अनु)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी सह
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
गोपालगंज।

पटना, दिनांक 15/1/2020

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 26(स्वी०) दिनांक 18.12.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 26(स्वी०) दिनांक 18.12.2019 द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर कर्तव्य के दौरान स्व० मो० सालिक, सहायक शिक्षक, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, गोपालगंज की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को **₹10.00 लाख (दस लाख रूपया) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि** स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹10.00 लाख (दस लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि आवंटित की जाती है।

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **जिला पदाधिकारी सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गोपालगंज** होंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के **"मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन-उपमुख्य शीर्ष 00–लघुशीर्ष 109–पंचायतों/ स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष–0002–जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव"** अंतर्गत विषय शीर्ष **"0002.37.01-अनुग्रह अनुदान"** इकाई से किया जायेगा। इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड 16-2015001090002** है।

4. **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने CFMS Office मे उक्त Head Of Account (विपत्र कोड) को यथाशीघ्र Map कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकारी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी **जिला कोषागार, गोपालगंज** से की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

13/1/2020

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2018/63(अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 15/1/2020

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी प्रशाखा-05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) एवं 06 (निर्वाचन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/2020

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2018/63(अनु)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/1/2020

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/1/2020

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

O:\MS Excel\Allotment\Allotment 2019-20\Estb & Commt Exp\Election\Letter.docx